हेमवती नन्दन बहुगुणा गढवाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) उत्तराखण्ड – 246174
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar(Garhwal), Uttarakhand-246174
(A Central University)

डा0 ए0के0झा Dr. A.K.Jha
कुलसचिव Registrar

दूरभाष (01346)-252[illegible],252167,252170
फैक्स (01346)-252174,252247
वेबसाइट–Website www.hnbgu.ac.in

पत्रांक – मान्यता/ 5262

दिनांक [illegible]

सेवा में,

प्राचार्य / निदेशक / सचिव
श्री देवभूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन
साइन्स एवं टैक्नोलोजी ग्राम मझौन वाया पौंधा प्रेमनगर
देहरादून।

महोदय,

एन0सी0टी0ई0 विनियम 2014 के अन्तर्गत कुछ शर्तों के साथ दी गई दो वर्षीय बी0एड0 एवं एम0एड0 पाठ्यक्रम की संशोधित मान्यता, विश्वविद्यालय निरीक्षण समिति की संस्तुति दिनांक 20.09.2015 और संस्थान प्रबन्धन द्वारा समिति को दिये गये 31 बिन्दुओं के शपथ पत्र के आधार पर कुलपति महोदय द्वारा श्री देवभूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन साइन्स एण्ड टैक्नोलाजी, ग्राम मझौन, वाया पौंधा प्रेमनगर, देहरादून को अधिनियम की धारा 4 (f) एवं 46 (2) के अनुसार बी0एड0 पाठ्यक्रम– 100 सीट (02 यूनिट, प्रत्येक यूनिट 50सीट) एवं एम0एड0 पाठ्यक्रम– 50सीट (एक यूनिट) के साथ 2015–17 बैच के प्रथम सत्र 2015–16 के लिए (एक वर्ष) की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गई है कि एन0सी0टी0ई0 द्वारा अक्टुबर, 2015 में प्रस्तावित निरीक्षण की रिपोर्ट का निर्णय अन्तिम होगा।

सम्बद्धता के अन्य प्रतिबन्ध निम्नवत होगें:–

1. संस्थान को यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता धारक शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी।
2. संस्थान द्वारा एस0सी0 / एस0टी0 / ओ0बी0सी0 के छात्रों को नियमानुसार आरक्षण देना होगा।
3. संस्थान द्वारा शिक्षकों को यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान एकाउन्ट पे के माध्यम से करना होगा।
4. संस्थान को कुलपति महोदय एवं [illegible] द्वारा जारी आदेश/निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
5. संस्थान दूसरे विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा [illegible] केन्द्र संचालित नही करेगा।
6. संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा।

भवदीय

ए0 के0 झा
कुलसचिव

प्रतिलिपि:– 1. उपकुलसचिव परीक्षा।
2. विशेष कार्याधिकारी, कुलपति सचिवालय को सादर सूचनार्थ।
3. गार्ड फाइल।

ए0 के0 झा
कुलसचिव